

फाइल नं. डिक्री मुकदमा इब्तदाई 4

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपरवृत्त अधिकारी मुकाम रोडामीम
 इजलास पीगसीन अधिकारी श्री जगदीश आर्य R.A.S.
उजवान

रिजोम. (2) धीरज पिं
 नंद लाल (3) सुशीला बेवा
 नंद लाल (4) गीता (5) सुई
 तारा (7) निरमा 8 विजय-
 डमी पुनियां नन्द लाल
 एत जाति ब्राह्मण निवासी
 ल लांट तहरो रोडामीम

बनाम

(1) दुहन (2) रघुनाथ (3) खैराती
 किराम सहाय (4) सन्तोष पुग
 लक्ष्मण (5) ओमी पुग दुहन
 (6) उगन्ती पालि लक्ष्मण
 समस्त जाति मीना निवासी
 बांगल मांडल तहरो रोडामीम
प्रतिवादी

बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 56 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबई श्री सुरेशचन्द्र शर्मा A.V. व हाजिरी

मिनकानिब गुदई खबर हमारे

निब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
डिक्री किया जाता है तथा ख. नं. पाथ रकबा 1.08 है
दिससा 1/5 वाले ग्राम रोडामीम किल्ला 11 में वादीगण के कब्जे
काब्रत में किसी भी प्रकार से गजा हमत मदारवलत नहीं
करने के लिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है।

मुबलिन बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
 शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

का अदा करें।
 मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 10 सन् 15
 की जाये की गई।



मुहर

दस्तखत उप जिज्जा कलकटर
 ओहदा रोडामीम (करौली)

	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
विक्रालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महन्ताना वकील		
नामा वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिशनर		
कमिशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
ट्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।